न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 92 / 2014 **(RCMS No. 2014/00094)**

वादीगण

1.भंवरलाल पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
2.दुलाराम पुत्र किसनाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
3.उदाराम पुत्र भूणाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
4.गोपाल पुत्र भूणाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
5.लिछमण पत्नि भूणाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जोराराम पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
2. कानाराम पुत्र मगनाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
3. सोभाराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
4. रामेश्वरलाल पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
5. राजू पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
6. श्यामलाल पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
7. उप पंजीयक कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
8. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)जिला नागौर।

दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act 1955

उपस्थित — श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी 1 से 6 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :— 30.08.2019

वादीगण की आरे से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार स्व. रूपाराम के वारिस उत्तराधिकारी है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :—

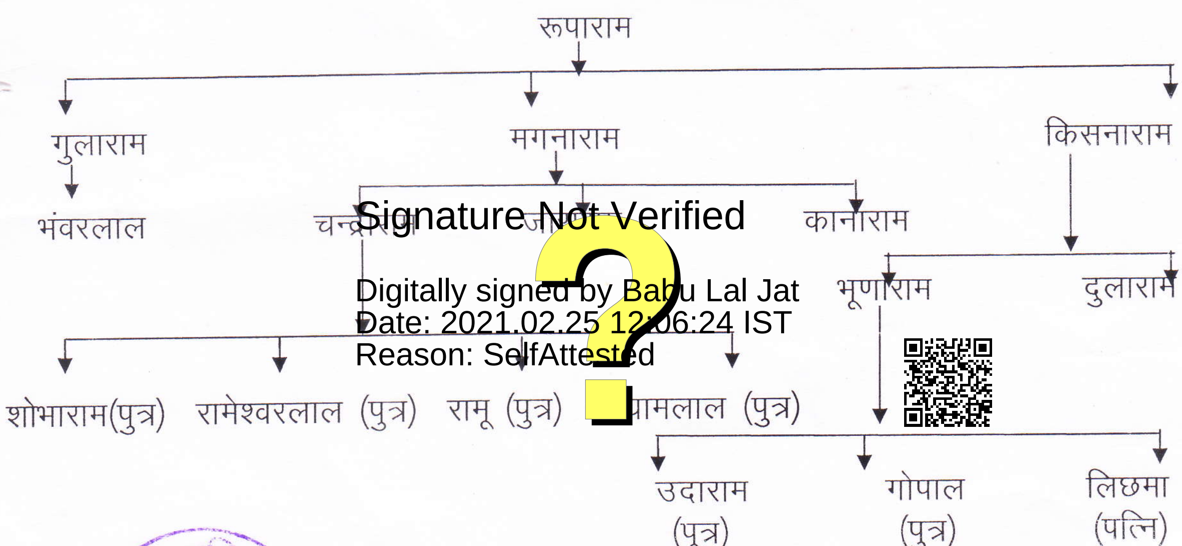

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:06:24 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 199 रकबा 289 बीघा जिसके नवीन भू– प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान नवीन खसरा नम्बर ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 46.80 हैक्टर स्थित है। गत खसरा नम्बर 199 में से 14 बीघा भूमि मगनाराम वल्द रूपाराम में नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है, वादीगण स्व. रूपाराम के वारिस उत्तराधिकारी है जो वक्त जागीर से ही उपरोक्त भूमि पर स्व. रूपाराम का अधिकार रहा एवं रूपाराम के स्वर्गवास बाद उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण 2.35 हैक्टर भूमि पर हक हिस्सेनुसार काबिज काश्तकार चले आ रहे है एवं अपने अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है उपरोक्त भूमि मे उक्त जागीर से स्व. रूपाराम काबिज काश्तकार थे उसके स्वर्गवास बाद में उत्तराधिकारी काबिज होकर सीधा लगान राज्य सरकार में अदा कराते रहे परन्तु खातेदारी मं अकेले मगनाराम वल्द रूपाराम का नाम दर्ज हो गया जबकि हम वादीगण के पिता गुलाराम मगनाराम किसनाराम काबिज काश्तकार काबिज चले आ रहे थे एवं जिसका खातेदारी में नाम दर्ज होने से छुटता गया जिसका वादीगण एवं प्रतिवादी अपने–अपने बंट की भूमि का भू–विभाजन कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगणो के पिता के नाम व स्वयं के नाम से और भूमि पैतृक में नाम शामलाती रूप से दर्ज चला आ रहा है केवल खसरा नम्बर 726 727 728 729 में खातेदारी खतौनी बनी उस समय वादीगणो के पूर्वजो के नाम को छोड़ दिया गया जबकि प्रतिवादीगण के पिता मगनाराम के अकेले खातेदारी नाम दर्ज की गयी जो कि गलत है क्योंकि यह भूमि पैतृक भूमि है जिसमें वादीगणो एवं प्रतिवादीगणों को अपने हक हिस्सेअनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है लेकिन खातेदारी अकेले प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी जिसको वादीगण अपने हक हिस्से की पैतृक भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के उत्तराधिकारी है। इतने दिन तो प्रतिवादीगण वादीगण को आश्वासन देते रहे लेकिन अब नियत में फितुर आ गया है, किसी अन्य को भूमि बेचान करने की धमकिया देने लगे है, जिसके कारण अपने अधिकारो एवं हितो की सुरक्षार्थ स्थाई निषेधाज्ञा एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद लाना आवश्यक हुआ है। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 46.80 हैक्टर मे से 2.35 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा अर्थात 0.783 हैक्टर वादी संख्या 1 व 1/3 हिस्सा अर्थात 0.783 हैक्टर वादी संख्या 2, 3, 4 काबिज खातेदार कृषक [illegible] अधिकारो की घोषणा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर [illegible], प्रतिवादीगण को उपरोक्त हक हिस्से में किसी प्रकार की दखल [illegible] हस्तानान्तरण इत्यादि नही करने के लिए जरिये स्थाई [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:06:24 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्ध एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात

प्रकरण में वाद एवं जवाब दावा काउन्टर क्लेम अनुसार तनकियात कायम की गई। दौराने सुनवाई प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस करने से प्रकरण में एक–पक्षीय सुनवाइ आरम्भ की गई।

वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 199 जिसके नये खसरा नम्बर 726 727 728 729 की नकल, चालू जमाबन्दी नकल, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008–2027 की नकल, गिरदावरी नकल सम्वत 2010–2013, 2014–2017, मौखिक साक्ष्य में वादी भंवरलाल, गवाह भैरूराम, करणसिंह के शपथ–पत्र प्रस्तुत किये।

प्रकरण में उभय पक्षकार अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होने वाद पत्र में अंकित इस्तदुआ अनुसार वाद डिक्री किये जाने का कथन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जवाब प्रस्तुत कर वाद का नकारते हुए प्रश्नगत भूमि पैतृक नही होकर अपने स्वअर्जित बताई एवं रूपाराम के वारिसान का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही होना बताया तथा उपरोक्त भूमि में वादीगण का किसी प्रकार का हक हिस्सा नही होना उल्लेखित किया है, प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस किये जाने से एक–पक्षीय सुनवाई की गई। जमाबन्दी मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008–2027 ग्राम खारिया के गत खसरा नम्बर 199 रकबा 289 बीघा 2 बिस्वा में जागीर खुदकाश्त रकबा 250 बीघा 2 बिस्वा खुमला वल्द बालू कौम कुम्हार सा. देह रकबा 24 बीघा 5 बिस्वा मगना वल्द रूपा कौम जाट सा. देह रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा दज है, खसरा नम्बर 299, 299/1, 299/2, चाही सोयम प्लस, गै.मु.बेरा, गै.मु.ढ़ाणी कुल रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा में मगना वल्द रूपा जाट सा. देह 3/4 जागीर खुदकाश्त 1/4 दर्ज है, गिरदावरी सम्वत 2010–13 में मगना की काश्त दर्ज है तथा सम्वत में किशन गुला मगना पि. रूपाराम की काश्त दर्ज है। चालू जमाबन्दी नकल खसरा नम्बर 726 727 728 729 कुल रकबा 46.80 हैक्टर में अन्य सह खातेदारान के साथ चन्द्रा जोरा काना पि. मगना जाति जाट 2.35 हैक्टर सा. देह खातेदार दर्ज है। गवाह करणसिंह के द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र अनुसार उपरोक्त भूमि रूपाराम के खातेदारी की दर्ज चली आई तथा उपरोक्त भूमि पर तीनो भाई गुलाराम मगनाराम किशनाराम का कब्जा काश्त देख है तथा मगनाराम कर्ता खानदान होने से उपरोक्त भूमि मगनारा मे नाम दर्ज हुई जबकि 5 बीघा भंवरलाल के कब्जा काश्त में है व 5 बीघा दुलाराम पुत्र किशना व उदाराम गोपाल पुत्र भूणाराम व लिछमा पत्नि भूणाराम के कब्जा काश्त में है व 5 बीघा भूमि प्रतिवादी मगनाराम व चन्द्राराम के वारिसो कब्जे काश्त में है इसी प्रकार गवाह भैरूराम ने उपरोक्त तथ्य अंकित किये है। [illegible] साबित है कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 726 727 728 729 पर रू[illegible] व [illegible]शज गुलाराम मगनाराम किसनाराम एवं उसके पश्चात उनके वारिसा[illegible] आ रही है तथा तीनो के बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए परन्तु कर्ता खानदान [illegible] से अकेले मगनाराम के भूमि दर्ज हुई है। उपरोक्त समस्त तथ्य उपलब्ध मौखिक साक्ष्य, [illegible] पत्र रेकार्ड इत्यादि से साबित होते है। अतः वाद वादी काबिल डिक्री होने से डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:06:24 IST
Reason: SelfAttested

...4......

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 46.80 हैक्टर में संयुक्त रूप से अन्य खातेदार के साथ इन्द्राज चन्द्रा जोरा काना पि. मगना जाति जाट 2.35 हैक्टर के स्थान पर 1/3 हिस्सा वादी सं. 1 भंवरलाल पुत्र गुलाराम, 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 दुलाराम पुत्र किसनाराम वादी संख्या 3 4 5 उदाराम गोपाल लिछमा पुत्र/पत्नि भूणाराम, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 30-08-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:06:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (R.A.S.)**

राजस्व वाद संख्या 92/2014 **(RCMS No. 2014/00094)**

वादीगण

1. भंवरलाल पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
2. दुलाराम पुत्र किसनाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
3. उदाराम पुत्र भूणाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
4. गोपाल पुत्र भूणाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
5. लिछमण पत्नि भूणाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जोराराम पुत्र गुलाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
2. कानाराम पुत्र मगनाराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
3. सोभाराम पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
4. रामेश्वरलाल पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
5. राजू पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
6. श्यामलाल पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी खारिया तहसील कुचामनसिटी
7. उप पंजीयक कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर
8. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)जिला नागौर।

दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से एवं श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी 1 से 6 की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वाद वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर, खसरा नम्बर 727 रकबा 4.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 728 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 729 रकबा 0.14 हैक्टर कुल रकबा 46.80 हैक्टर में संयुक्त रूप से अन्य खातेदार के साथ इन्द्राज चन्द्रा जोरा काना पि. मगना जाति जाट 2.35 हैक्टर के स्थान पर 1/3 हिस्सा वादी सं. 1 भंवरलाल पुत्र गुलाराम, 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 दुलाराम पुत्र किसनाराम वादी संख्या 3 4 5 उदाराम गोपाल लिछमा पुत्र/पत्नि भूणाराम, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।** डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत..................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 08 सन् 2019 को जारी की गई।

(मुहर)

दस्तखत ....

ओहदा ....

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			[illegible]		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu□Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:06:24 IST
Reason: SelfAttested

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं.. राजस्व वाद 6·92/14 बगतमल/जोराराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	19/9/2019 वकील वादी के आप प्रार्थना पत्र 152 व 151 cpc के तहत प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज कार्य पर ली गई। प्रार्थना-पत्र में बयान किया है कि प्रतिवादी जोराराम की वल्दियत टंकण भूल से गुलाराम दर्ज हो गई जबकि भजनाराम दर्ज होना चाहिए था। जिसे शुद्ध किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। निर्णय एवं डिक्री फर्द में प्रतिवादी जोराराम पुत्र भजनाराम के स्थान पर जोराराम पुत्र गुलाराम टंकण हो गया। जिसे दुरुस्त किया जाना उचित है। अतः निर्णय एवं डिक्री फर्द में प्रतिवादी सं. 1 का नाम जोराराम पुत्र गुलाराम के स्थान पर जोराराम पुत्र भजनाराम संशोधित किया जाता है। वादी अनुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। कुचामन सिटी नागौर Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2021.02.25 12:06:24 IST Reason: SelfAttested	